मुख्य अभियंता–1 (पटना) का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक– मु0अ0–1/प्रा0–04–146/2025 पटना, दिनांक–

प्रेषक,

ई0 राम मनोहर ठाकुर,
मुख्य अभियंता 1 (पटना),
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, **नालन्दा।**

विषयः–ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **राजगीर** के अधीन **शीर्ष** MMGSY- (Awsesh) अन्तर्गत स्वीकृत कुल **01 (एक)** योजना का पथ निर्माण एवं छः वर्षीय रख–रखाव कार्य के प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंगः–आपका पत्रांक **575** अनु0 दिनांक **21.06.2025**

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल **01 (एक)** पथ के प्राक्कलन का प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर प्राक्कलन लौटाया जा रहा है। पथ का नाम प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

2. प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ क्रमशः 04 एवं 05 में अंकित है।
3. स्वीकृति प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगें।
4. स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावैधानित पुल /पुलिया स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यो के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
7. अधीक्षण अभियंता, कार्य अचंल, **नालन्दा** ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, दर विश्लेषण कर केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
8. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जाँच आप स्वयं कर सूचित करेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है।
9. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात वहाँ के कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्राक्कलन करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
10. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, राजगीर के अधीन शीर्ष MMGSY- (Awsesh) योजनान्तर्गत प्र... स्वीकृति प्रदत योजनाओं की सूची:–

क्र0 सं0	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0 में)	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति अनुमोदन की राशि (निर्माण कार्य, अनुरक्षण कार्य, प्रशासनिक एवं आकस्मिक कार्य) (लाख में)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (निर्माण कार्य, अनुरक्षण कार्य, प्रशासनिक एवं आकस्मिक कार्य) (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	Block-Silao, Nalanda Pawapuri RCD Road To Mahuri Uttari Tola	2.450	Letter N0-**1164** Date-**03.06.2025**	275.375	279.868

अनु0–स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

ह0/–

मुख्य अभियंता–1 (पटना),

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

ज्ञापांक:– 1068 अनु० पटना, दिनांक:– 25/6/25

प्रतिलिपि:–अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, राजगीर को सूचनार्थ एवं प्राक्कलन की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/06/25

मुख्य अभियंता–1 (पटना),

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

Scanned with OKEN Scanner

T.S. No.-312
25/6/25

प्रावैधिक टिप्पणी

योजना का नामः– परिशिष्ट **'क'** के स्तम्भ **02** के अनुसार।
प्रशासनिक स्वीकृतिः– परिशिष्ट **'क'** के स्तम्भ **05** के अनुसार।

विवरणी

1. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट **'क'** के स्तम्भ **06** में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य विभागीय की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकारत्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य **अंचल, नालन्दा** की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वयं एवं यह सुनिश्चि करेंगे कि विभागीय अनुमोदन प्राप्त हुआ है या नहीं, कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पथ एवं पुल/पुलिया हेतु जमीन एवं निर्माण सामग्री कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकड़ा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार–प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता की होगी।
6. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगीः–
   प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
   अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रिसेक्सन निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण, स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार ही कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत संलग्न आड़ीकाट एवं लम्ब काट के आधार पर किया गया एवं आड़ीकाट में जमीन उपलब्ध है इसे मानते हुए गणना की गयी है जिसकी गणना विभाग से अधिकृत Consultant द्वारा की गई है एवं इसकी संपुष्टि प्रमंडल के पदाधिकारीयों द्वारा की गई है ऐसा मानकर स्वीकृति दी जा रही है। परन्तु अधीक्षण अभियंता स्थल जॉच कर संतुष्ट हो लेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है अथवा अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बांध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत समाग्री एवं स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में Rural Roads Specification तथा Rural Roads Manual (IRC SP:20) 72/62 की विशिष्टि का अनुशरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वंय निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात हीं आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रैडियंट Extra widening & Super elevation आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
15. अधीक्षण अभियंता सामाग्रियों की ढुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे, तदोपरांत हीं निविदा संबंधी कार्रवाई की जाये।
16. निविदा आमंत्रण/निष्पादन में विभागीय की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।
17. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेगें कि इस कार्य से किसी भी तरह से **शीर्ष** MMGSY- (Awsesh) योजना की मार्गदर्शिका एवं इस संबंध में समय–समय निर्गत बिहार सरकार के निर्देशों का उल्लंघन न हों।
18. स्वीकृत कार्य के विरूद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुकुल घटा ली जाये।
19. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।
20. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय–सीमा के अनुरूप हो।

Scanned with OKEN Scanner

21. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्वस्त हो लें की एच0एफ0एल0 बाढ स्तर के अनुरूप हो।
22. गुणवत्ता की जांच विभाग के द्वारा गुण नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेष प्रकाशन–।। के प्राबधान के अनुरूप किया जाये।
23. जिन कार्यो का दर अनुसुचित दर पुस्तिका में नहीं है उस स्थिति में केंद्रीय पदाधिकारीयों द्वारा अंकित दर को मान लिया गया है, परन्तु ऐसे मदों के दर का दर विश्लेषण क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे, यदि आवश्यक हुआ हो तो संशोधनोपरांत प्राप्त करेंगे।
24. पूर्व में कराए गए कार्यो से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरांत निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।
25. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान नियमानुसार सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।
26. विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र–संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वंय कर प्रमाण–पत्र देगें।
27. प्राक्कलन में प्रयुक्त प्रावैधिक ऑकड़ो को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरांत हीं कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।
28. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेगें कि इस कार्य में अन्य योजना/एजेंसी के द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है। तभी इस कार्य का क्रियान्वयन किया जाय।
29. उक्त परियोजना की तकनीकी अनुमोदन राज्य प्रावैधिक संस्थान द्वारा प्राक्कलन में किए गए प्रावधानों को यथावत रखा गया है।
30. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लें कि निर्माण समाग्रियों (मेटल, चिप्स, बोल्डर इत्यादि) की ढुलाई निकटस्त अनुमोदित खादान से हीं देय होगी।
31. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहाँ से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।

विश्वासभाजन

25/06/25

मुख्य अभियंता–1 (पटना),
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

Scanned with OKEN Scanner

(52)

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–BRRDA(HQ)-MMGSY-152/25 1164 /पटना, दिनांक–03/6/25

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा०प्र०से०
विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

विषय : योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उप शीर्ष–0108 मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष), विपत्र कोड संख्या–37–4515–00–789–0108 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में संलग्न सूची के अनुसार कुल 692 अदद योजनाओं का निर्माण कार्य सन्निहित है। प्रत्येक योजना के लिए निर्माण (नये सतहीकरण कार्य सहित) एवं छः वर्षीय सतत् अनुरक्षण कार्य हेतु संलग्न सूची के स्तम्भ–15 में अंकित राशि के अनुरूप कुल राशि ₹156720.614 लाख (एक हजार पाँच सौ सडसठ करोड बीस लाख इकसठ हजार चार सौ) मात्र की राशि के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष–अनुसूचित जाति) अन्तर्गत विभिन्न कार्य प्रमंडलों के अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में संलग्न सूची के अनुसार 692 (छः सौ बानवे) अदद योजनाओं के निर्माण कार्य सन्निहित है। प्रत्येक योजना के लिए संलग्न सूची के स्तम्भ–10 में अंकित लम्बाई के निर्माण कार्य (नये सतहीकरण कार्य सहित) एवं छः वर्षीय सतत् अनुरक्षण कार्य हेतु अलग–अलग योजनाओं के लिए संलग्न सूची के स्तम्भ–15 में अंकित राशि के अनुरूप प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है। प्रशासनिक स्वीकृति की कुल राशि ₹156720.614 लाख (एक हजार पाँच सौ सडसठ करोड बीस लाख इकसठ हजार चार सौ) मात्र होता है।

2. विभागीय अपर मुख्य सचिव द्वारा दिनांक:–03/06/2025 को निम्न शर्तों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

I. ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायेगी।

II. कार्यपालक अभियंता (PIU)का दायित्व होगा कि कार्यों को विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें।

III. इन योजनाओं के निर्माण एवं नये सतहीकरण कार्य (Road Edge Marking सहित) का भुगतान योजना शीर्ष–4515 एवं सतत् अनुरक्षण कार्य की राशि गैर योजना मद शीर्ष–3054 से भारित किया जायेगा।

IV. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

V. योजना के कार्यान्वियन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जायेगा।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

Scanned with OKEN Scanner

VI. कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेगें।

VII. संबंधित कार्यपालक अभियंता योजना का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 05 (पाँच) तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

VIII. इन योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

IX. संबंधित कार्यपालक अभियंता योजना के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यो को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

X. स्वीकृत योजनाओं की प्रविष्टि MIS पर भी कराये जाने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।

XI. संबंधित कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है एवं पूर्व में इन पथों की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गयी है।

XII. स्वीकृत योजनाओं की निविदा/पुनर्निविदा ई–निविदा के माध्यम से मुख्यालय स्तर द्वारा करायी जायेगी।

XIII. स्वीकृत योजना का कार्यान्वयन मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के लिए निर्गत संकल्प एवं मार्गदर्शिका के आलोक में किया जायेगा।

XIV. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर सक्षम पदाधिकारी से Road Safety and Social & Environmental से संबंधित बिन्दुओं का नियमानुसार प्रावधान रखते हुए प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कराने की जिम्मेवारी संबंधित अधीक्षण अभियंता की होगी।

XV. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद् की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त योजनाओं के निर्माण एवं नये सतहीकरण कार्य (Road Edge Marking सहित) का वहन योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उप शीर्ष–0108 मुख्यमंत्री ग्राम संम्पर्क योजना (अवशेष), जिसका विपत्र कोड संख्या–37–4515–00–789–0108 है, सतत अनुरक्षण कार्य की राशि का वहन गैर योजना मद शीर्ष–3054–सड़क तथा सेतु–उप मुख्य शीर्ष–04–जिला तथा अन्य सड़के–लघु शीर्ष–105–रख रखाव तथा मरम्मत–उप शीर्ष–0001–ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय, जिसका विपत्र कोड संख्या–37–3054041050001 है एवं भूमि अधिग्रहण/सतत लीज की राशि का वहन योजना शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष–00 लधु शीर्ष 103–ग्राम विकास–उप शीर्ष–0101–न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (0101–33–02 मुआवजा) जिसका विपत्र कोड संख्या–37–4515001030101 है, के लिए प्राप्त उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(क) मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष–अनुसूचित जाति) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

(ख) वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि(2), दिनांक–03.01.2008 तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि० दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों को आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

(ग) यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

Scanned with OKEN Scanner

3. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक 03/06/2025 को संचिका संख्याः– BRRDA(HQ)-MMGSY-152/25 के पृष्ठ–....18......./टि0 पर प्राप्त है।

4. यह आदेश वित्त विभाग की संकल्प संख्या–12888 (वि०) दिनांक 03.12.2024 की कंडिका–2 में निहित प्रावधान के आलोक में एवं संचिका संख्याः– BRRDA(HQ)-MMGSY-152/25 के पृष्ठ–.......18..../टि0 पर दिनांकः– 03/06/2025 को विभागीय अपर मुख्य सचिव के आदेशानुसार आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– BRRDA(HQ)-MMGSY-152/25 के पृष्ठ संख्याः– ......18...../टि0 पर दिनांकः– 03/06/2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः BRRDA(HQ)-MMGSY-152/25 1164 /पटना, दिनांक–03/6/25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उपविकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/ अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Nodal, ग्रामीण कार्य विभााग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

Scanned with OKEN Scanner

Sl. No.	Habitation Survey ID	District	Division	Block	Start Point Name	End Point Name	Category	Population	Length (in Km)	Construction and Surface Renewal Amount (in Lakh)	Maintenance Amount (in Lakh)	Administrative and Contigency Amount (in Lakh)	Private Land Cost. (in Lakh)	Administrative Approval Amount (in Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	102894	Nalanda	Rajgir	Silao	Nalanda Pawapuri RCD Road	Mahuri Uttari Tola	SC	150	2.450	241.629	26.601	7.145	0.000	275.375
			Hilsa Total		1				2.450	241.629	26.601	7.145	0.000	275.375
1	80213	Patna	Barh	Pandarak	Gautra Daulatpur Beldariya Road	Chauhan Tola	SC	550	1.610	163.391	18.214	4.993	0.000	186.598
2	80441	Patna	Barh	Pandarak	Daulatpur Middle School	Beldariya School	SC	450	1.500	145.201	22.260	4.493	0.000	171.954
3	95427	Patna	Barh	Pandarak	Sirshi Dumariya Baghachak Road	Jaunpur	SC	600	1.400	121.480	17.438	3.840	0.000	142.758
4	93991	Patna	Barh	Pandarak	NH-31	Sitaram Bagi	SC	500	0.650	58.635	7.521	1.905	53.973	122.034
5	93860	Patna	Barh	Pandarak	Mubarakpur Pmgsy Road	Mubarakpur Mahadalit Tola	SC	800	0.750	69.051	8.766	2.245	0.000	80.062
6	93900	Patna	Barh	Pandarak	Primary School Raily Diyara	Raily Paschim Tola(Near Late Alakhdeo Singh Well)	SC	500	0.425	38.449	3.161	1.249	35.290	78.149
			Barh Total		6				6.335	596.207	77.360	18.725	89.263	781.555
1	91880	Patna	Danapur	Bihta	Daulat Pur Bajrang Bali	Jharha Tola	SC	250	2.200	229.825	29.208	6.820	199.283	465.136
2	101894	Patna	Danapur	Bihta	Bihta Dumri Road	Kishunpur Samudayik Bhawan	SC	350	0.750	92.149	4.935	2.994	0.000	100.078
3	88358	Patna	Danapur	Danapur	Link Road Of Usri	Aryan Colony	SC	950	2.100	166.826	14.488	5.088	0.000	186.402
4	87883	Patna	Danapur	Danapur	maksudpur durga sthan tinmuhani	maksudpurbataka gharan tola	SC	275	1.700	161.562	11.933	4.943	0.000	178.438
5	93662	Patna	Danapur	Danapur	Kothwa Prathimik Vidyalaya Mushharari	Kashyap Green City	SC	176	0.700	71.021	5.010	2.308	0.000	78.339
6	98859	Patna	Danapur	Danapur	Vijay Singh Yadav Path Near Lakhinibigha Chowki	Devpuram Tola Lakhinibigha	SC	255	0.500	45.386	3.687	1.475	0.000	50.548
7	94421	Patna	Danapur	Danapur	RK Puram Chowk	Chamari Chak Naya Tola	SC	900	0.650	31.000	4.341	1.008	0.000	36.349
8	88099	Patna	Danapur	Maner	Christian Toli Road	Chakiya Tola Khaspur	SC	500	1.500	134.563	12.585	4.201	0.000	151.349
9	93913	Patna	Danapur	Phulwari Sarif	Koriawa Chowk	Nahar Road	SC	15000	1.720	173.826	24.871	5.280	0.000	203.977
10	82617	Patna	Danapur	Phulwari Sarif	Community Hall &Praimmary School At Palanga(Ramgovind Singh To Palanga RWD Road)	Suitha Ravidas Tola	SC	150	1.000	82.107	6.905	2.668	0.000	91.680
11	99782	Patna	Danapur	Phulwari Sarif	Lucky Grill Enterprises On RCD Road	Ismailpur Tola	SC	250	0.880	75.477	6.104	2.453	0.000	84.034
12	99704	Patna	Danapur	Phulwari Sarif	Parsa Than Flour Mill On Ramgovind Singh PALANGA RWD Road	NH 22 (Manglichak Mahadalit Tola)	SC	50	0.700	65.173	7.684	2.118	0.000	74.975
			Danapur Total		12				14.400	1328.915	131.751	41.356	199.283	1701.305
1	87244	Patna	Masaurhi	Dhanarua	End of Mahadev Asthan tola	Hulaschak Musharraf toli	SC	270	3.400	348.284	47.040	10.077	0.000	405.401
2	97443	Patna	Masaurhi	Dhanarua	kolhachak chanaki road	satparsa	SC	1000	2.400	207.156	32.133	6.196	0.000	245.485
3	87615	Patna	Masaurhi	Dhanarua	T01 to Mustafapur RWD road	Dalit tola Chakjulah	SC	245	1.160	105.036	14.253	3.388	0.000	122.677
4	87819	Patna	Masaurhi	Dhanarua	Sohani Chak	Near RCC Culver (Bar bigha)	SC	320	0.700	74.094	7.187	2.407	0.000	83.688
5	79512	Patna	Masaurhi	Masaurhi	Masaurhi pitwas RCD path	Meerapur	SC	240	1.800	161.794	25.474	4.948	0.000	192.216

Scanned with OKEN Scanner